

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

८/३/१६

### कार्यालय-आदेश

Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के Operations Manual में निहित प्रावधानों के तहत Modular Employable Skill (MES) के अन्तर्गत वैसे वी० टी० पी० जिनके द्वारा ऐसे स्थान पर प्रशिक्षण देना चाहते हो जहाँ बिजली की समुचित आपुर्ति नहीं है एवं उनके द्वारा जनरेटर सेट का उपयोग से प्रशिक्षण चलाई जा रही है उस परिस्थिति में Operations Manual में वर्णित विभिन्न बिन्दुओं को सूनिश्चित करना अनिवार्य होगा जो निम्न प्रकार है :-

- (क) Hourly Meter स्थापित करना होगा जिससे यह सूनिश्चित किया जा सके की जनरेटर कितने घंटे चला।
- (ख) लॉग बुक अद्यतन करना होगा जिसमें जनरेटर चलाने का समय एवं इंधन क्रय का विस्तृत व्योरा साक्ष्य के साथ संलग्न कर निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा।
- (ग) नजदीकी सरकारी आई० टी० आई० द्वारा प्रत्येक 15 दिनों बाद निरीक्षण कराया जायेगा ताकि वार्तव में जनरेटर प्रशिक्षण कार्य हेतु लाया गया है या नहीं इसकी जानकारी लिया जा सके।
- (घ) यदि जनरेटर किराये पर लिया गया है तो उसकी मासिक किराये का साक्ष्य दर्शाना होगा।
- (ङ.) यदि जनरेटर खरीदा गया हो तो उसका क्रय रसीद आवेदन के समय निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा।

८/३/१६

निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार पटना।

ज्ञापांक— टी २/एम०ई०एस०-१४/२०१३(स्टड)-७८९ पटना, दिनांक— ८/३/१६

प्रतिलिपि – राज्य में संचालित/आवेदित सभी वी०टी०पी० निदेशक /सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग /संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/प्रभारी पदाधिकारी (वी०टी०पी०)/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित सहायक/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

८/३/१६

निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार पटना।